



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

LAKSHMIBAI NATIONAL INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION

(Deemed-to-be University)
Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India

STANDARD OPERATING PROCEDURE

CHIEF PROCTOR OF THE INSTITUTE





LAKSHMIBAI NATIONAL INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, GWALIOR

(Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956)
Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

CHIEF PROCTOR OF THE INSTITUTE

The University Grants Commission (UGC) provides guidelines for Chief Proctors, focusing on maintain discipline and order within universities. These guidelines outline the Chief Proctor's responsibilities, powers, and procedures for handling disciplinary matters. Key aspects include monitoring student conduct, investigating complaints of indiscipline, and taking appropriate action, potentially including fines, suspensions, or legal proceedings

I. Roles & Responsibilities/ Duty Charter.		
S. No.	Roles & Responsibilities / Duty Charter	Description
1.	Monitoring Discipline	The Chief Proctor is responsible for overseeing the general disciplinary climate within the university community as well as monitoring all the cells responsible to maintain discipline in the Institute.
2.	Student Welfare and Support Services	They investigate complaints related to student indiscipline and make recommendations to the relevant authorities
3.	Taking Disciplinary Action	The Chief Proctor has the power to fine students, suspend them, and even initiate legal action in cases of serious misconduct.
4.	Liaison with Authorities	They maintain communication with law enforcement and other relevant bodies regarding campus security and order.
5.	Maintaining Order	The Chief Proctor ensures the smooth functioning of the University by addressing issues related to student behavior and conduct.
Power of Chief Proctor:-		
6.	Suspension	The Chief Proctor can suspend a student for a specified period (e.g., up to two weeks) or prohibit them from entering certain areas of the university.
7.	Fines	They can impose fines on students for violating university regulations as per student Handbook.
8.	Initiating Disciplinary Proceedings	The Chief Proctor can initiate disciplinary proceedings against students for breaches of discipline as per student Handbook.
9.	Referral to Higher Authorities	In cases where a higher punishment is deemed necessary, the Chief Proctor can refer the matter to the Competent Authority.
Specific Guidelines and Examples:-		
10.	Proctorial System	The Proctorial System aims to maintain order and discipline within the university, with local-level decisions made in consultation with the university's Proctor's Office.
11.	Anti-Ragging Measures	The UGC guidelines emphasize the importance of preventing harassment and ragging, with a focus on preventive actions through Anti ragging Committee.
12.	Maintenance of Peace and Harmony	Universities are expected to foster a peaceful and harmonious atmosphere among students, and the Chief Proctor plays a role in this.

संस्थान के कुलानुशासक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार मुख्य प्रॉक्टर की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ

(मानक संचालन प्रक्रिया)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित मुख्य प्रॉक्टरों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। ये दिशानिर्देश अनुशासनात्मक मामलों से निपटने के लिए मुख्य प्रॉक्टर की ज़िम्मेदारियों, शक्तियों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं। प्रमुख पहलुओं में छात्रों के आचरण की निगरानी, अनुशासनहीनता की शिकायतों की जाँच और उचित कार्रवाई करना शामिल है, जिसमें जुर्माना, निलंबन या कानूनी कार्यवाही शामिल हो सकती है।

I. मुख्य प्रॉक्टर की प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ:		
S.No.	Roles & responsibilities /Duty Charter	Description
1.	अनुशासन की निगरानी	मुख्य प्रॉक्टर विश्वविद्यालय समुदाय के भीतर सामान्य अनुशासनात्मक माहौल की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार होता है।
2.	शिकायतों की जाँच	वे छात्रों की अनुशासनहीनता से संबंधित शिकायतों की जाँच करते हैं और संबंधित अधिकारियों को सुझाव देते हैं।
3.	अनुशासनात्मक कार्रवाई	मुख्य प्रॉक्टर के पास छात्रों पर जुर्माना लगाने, उन्हें निलंबित करने और गंभीर कदाचार के मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।
4.	प्राधिकारियों के साथ संपर्क	वे परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था के संबंध में कानून प्रवर्तन और अन्य संबंधित निकायों के साथ संवाद बनाए रखते हैं।
5.	व्यवस्था बनाए रखना	मुख्य प्रॉक्टर छात्रों के व्यवहार और आचरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करके विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं।
मुख्य प्रॉक्टर की शक्तियाँ:		
6.	निलंबन	मुख्य प्रॉक्टर किसी छात्र को एक निश्चित अवधि (जैसे दो सप्ताह तक) के लिए निलंबित कर सकते हैं या उन्हें विश्वविद्यालय के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।
7.	जुर्माना	वे छात्र पुस्तिका (Student Handbook) के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों पर जुर्माना लगा सकते हैं।
8.	अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना	मुख्य प्रॉक्टर (Chief Proctor) छात्र पुस्तिका (Student Handbook) के प्रावधानों के अनुसार अनुशासन के उल्लंघन के मामलों में छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं।
9.	उच्च अधिकारियों को संदर्भित करना	जिन मामलों में अधिक दंड आवश्यक समझा जाता है, मुख्य प्रॉक्टर मामले को सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित कर सकते हैं।
विशिष्ट दिशानिर्देश और उदाहरण:		
10.	प्रॉक्टरियल प्रणाली	प्रॉक्टरियल प्रणाली का उद्देश्य विश्वविद्यालय के भीतर व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना है और स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय के परामर्श से निर्णय लिए जाते हैं।
11.	रैगिंग विरोधी उपाय	यूजीसी के दिशानिर्देश उत्पीड़न और रैगिंग को रोकने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें निवारक कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

12.	शांति और सद्भाव बनाए रखना	विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों के बीच शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और मुख्य प्रॉक्टर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
-----	---------------------------	---